

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुं० नं० 34/17 तारीख 27.5.17

उपनाम - याकुब बकाम तृहसीलदाव

दावावा बत इस्त करार हक (इन्जाज युस्ती)

वादी की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा भव. ने दावा आवत इस्त करार हक (इन्जाज युस्ती) पेश किया प्रस्तुत दस्तवेजात व शपथ पत्र का अर लोका क किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये सम्मन सेत खव कर दिनांक 22/5/17 को पेश हो।


1481-82
1-5-17


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कौली)


22/5/17 पत्रावली पेश हुई। प्रवाह व हट पचोटे है। आईडा दिनांक 5-7-17 को पेश हो।

5.7.17
वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी केपसे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 24.7.17 को पेश हो।

2.1) वादी वकील उप०/प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओर से चैरोका सरगा उप०/जबब पेश कले दि० 17.8.17 को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

1) जनरल पेशी से पेश हुई। वकूलाय उप०/जबब पेश कले दि० 25-10-17 को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक

तहसीलदार टोडाभीम की अफसूरी का के आवाएएए
 ग्राम गेहों पट्टी कलों की जमा बंदी संवत् 2070-
 2073 के खाता संख्या 28, 29, 30, 31, 32, 85, 93,
 98, 99, 130, 146, 156, 157, 166, 189, 190, 226,
 100, 193, 227, 277, 282,
 230, 231, [REDACTED], 276, 334 में दर्ज नाम कल्लू के


C.A.

स्थान पर अताउल्लाह दर्ज करने के आदेश दिये
 जाते हैं। यह प्रकार इन्हाज दुकली का होने से
 शुद्ध नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं।

पालना तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त कर पत्रावली में
 शामिल की जावे। पत्रावली के खतल शुमाए होकर
 जम्का से काम होकर दारिखत दफ्तर हो।

जारी
 903-906
 15.3.18

निर्णय आज दिनांक 15.3.2018 को खुले
 न्यायालय में सुनाया गया।


 जगदीश आर्य
 उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करौली)